

## Order sheet [Contd]

case No: HMA. -08 / 15

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07-10-17	<p>आवेदक द्वारा श्री जी०एस० निगम अधि० उप० ।  अनावेदिका अनिर्वाहित ।  प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि यह वैवाहिक प्रकरण दि० 30.01.2015 को प्रस्तुत की गयी है। दि० 06.02.2015 को तलवाना पेश करने का आदेश किया गया है। 27.02.2015 के लिये रजिस्टर्ड डाक का तलवाना दिया गया है। 03.03.2015 के लिये भी तलवाना दिया गया है। 17.06.2015, 07.08.2015, 16.10.2015 को तलवाने पेश किये गये हैं जिनके संबंध में अंतिम बार यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि अनावेदिका नीतू उर्फ संगीता गांव में नहीं रहती है वह गोहद चौराहे पर रहती है। इस प्रकार आवेदक को सही पते पर तलवाना देना था दि० 16.10.2016 के लिये प्रस्तुत तलवाने के पश्चात् आवेदक की ओर से कोई तलवाना पेश नहीं किया गया है। आज के लिये भी कोई तलवाना पेश नहीं किया गया है, इस प्रकार अपीलार्थी की प्रकरण में कोई रुचि नहीं रही है।  अतः यह हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रकरण तलवाना प्रस्तुत न करने के कारण खारिज की जाती है।  मेमो ऑफ कौस्ट तैयार की जावे।  प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार दर्ज हो।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर)  द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  गोहद जिला भिण्ड</p>	